

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

आवंटन

अनुदान संख्या-83 (आयोजनागत)
लेखाशीर्षक-4515007890500-24

सेवा में,

1-जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,

जनपद बरेली, गाजियाबाद, हरदोई, रायबरेली, कानपुर नगर, जालौन, कुशीनगर, सम्मल,
सीतापुर, झांसी, बाराबंकी, उन्नाव तथा आगरा।

2-जिला पंचायत राज अधिकारी (मु0)/आहरण वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।

संख्या: 1/शा0/47/2016-1/75/2016 लखनऊ: दिनांक 31 मई, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जाति सब प्लान) आयोजनागत मद
में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड एवं
के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलॉकिंग टाइल्स निर्माण के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उपसचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-19/ 2016/1283/
33-3-2016-100(11)/2014 टीसी दिनांक 26 मई 2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान
संख्या-83 आयोजनागत मद में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड
एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलॉकिंग टाइल्स की व्यवस्था हेतु प्राविधानित धनराशि रू0- 15000.00 लाख
में से धनराशि रू0-4260.00 लाख (रू0- बयालिस करोड़ साठ लाख मात्र) का उक्त सदर्मित
शासनादेश दिनांक 26.05.2016 के साथ संलग्न फॉट के कालम संख्या 8, 15, 17 में इंगित कुल
धनराशि रू0-4252.066 लाख की धनराशि संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण
अधिकारी के आहरण/व्यय/वितरण हेतु (परिशिष्ट-01) व कालम संख्या 10 में इंगित रू0-7.934
लाख की धनराशि निदेशालय के आहरण वितरण अधिकारी के आहरण/व्यय हेतु (परिशिष्ट-02) की
धनराशि संलग्न सूची के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती है:-

1-उक्त आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग समाज कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर इस संबंध में
जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

2-उक्त आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इतर व्यय
वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

3-आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा
कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपयोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के
सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016 /बी0-1-746
/दस-2016-231/2016 दिनांक 22.03.2016 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास विभाग
द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की
जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उपरोक्तानुसार आवंटित की जा रही धनराशि सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारियों को आवंटित
की जाएगी जो इस आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेगे।
सम्बन्धित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपोजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल पद्धति से
व्यय करेंगे। अधिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा
शीर्ष "1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्ति-01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण
अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक"0515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य
प्राप्ति-02-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली" में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। शासनादेश के
संलग्नक में जनपद वार फॉट के कालम संख्या-10 में अंकित धनराशि रू0- 7.934 लाख निदेशक
पंचायती राज कार्यालय स्तर पर आहरित की जाएगी। अवशेष धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी
द्वारा आहरित कर सम्बन्धित फॉट में इंगित स्तर पर उपलब्ध करायी जाएगी।

5-उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेंट) मात्र किसी
प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय
नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की
जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6-उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-05-समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग की व्यवस्था-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

7-आवंटित की जा रही उक्त धनराशि का व्यय योजना आयोग, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

8-सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

9-शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए-934/दस-2008-मित-1/2007 दिनांक 02-09-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

10-आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0-4 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय उपलब्ध कराया जाये। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

11-जनपद स्तर पर निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं की अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि नोडल अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त कार्य एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होते हुए अगले 02 माह के लिए नोडल अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

12-किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिये संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।


13-जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

14-धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में यदि कोई समर्पण हो तो उसकी सूचना निदेशालय को दिनांक 10-03-2017 तक अनिवार्य रूप से भेजी जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-146 पर अंकित है।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीय,

(अनिल कुमार दमेले)
निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

संख्या: 1/शा0/47/1/2016 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद-211001.
- 2- प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- विशेष सचिव, बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
- 5- उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
- 6- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

- 7- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद बरेली, गाजियाबाद, हरदोई, रायबरेली, कानपुर नगर, जालौन, कुशीनगर, सम्भल, सीतापुर, झांसी, बाराबंकी, उन्नाव तथा आगरा।
- 8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- सम्बन्धित उपनिदेशक मण्डलीय उपनिदेशक (पं०), उ०प्र०।
- 10- उपनिदेशक (प०), पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र०।
- 11- एस०पी०एम०यू०, पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(केशव सिंह)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017
आवंटन दिनांक-31/05/2016

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

1-sha-47-2016-1-75-2016
001-75-2016

83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय (आयोजनागत-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
05 - समग्र ग्राम विकास योजना-तर्गत सी0सी0रोड एवं के0सी0

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	वर्तमान प्रगामी	24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	आगरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	15970200 15970200	15970200 15970200
2	बरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	16968300 16968300	16968300 16968300
3	कानपुर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	38927400 38927400	38927400 38927400
4	खोसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	38927400 38927400	38927400 38927400
5	जालौन-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	25951600 25951600	25951600 25951600
6	उन्नाव-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	41921800 41921800	41921800 41921800
7	रायबरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	51903100 51903100	51903100 51903100
8	सीतापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	64878900 64878900	64878900 64878900
9	हरदोई-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	42919900 42919900	42919900 42919900
10	बाराबंकी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	26949800 26949800	26949800 26949800
11	गजियाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	21959000 21959000	21959000 21959000
12	कशीनगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	34934800 34934800	34934800 34934800
13	सम्बल-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2994400 2994400	2994400 2994400
	योग	वर्तमान प्रगामी	425206600 425206600	425206600 425206600

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रूपया ब्यालीस करोड़ बावन लाख छः हजार छः सौ
रूपया ब्यालीस करोड़ बावन लाख छः हजार छः सौ

(के.वी. सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-31/05/2016

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

1-sha-47-1-2016-1-75-2016

002-75-2016

83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनागत-मराठेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

05 - समग्र ग्राम विकास योजना-तर्गत सी0सी0रोड एवं के0सी0

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	24-वृत्त निर्माण कार्य	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 , लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	793400 793400
	योग	वर्तमान प्रगामी	793400 793400

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रूपया सात लाख तिरानवे हजार चार सौ

रूपया सात लाख तिरानवे हजार चार सौ

(केशव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

1/27/16/47/16

संख्या- 19 /2016/1283/33-3-2016-100(11)/2014टीसी

प्रेषक,

एस0पी0 सिंह
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।
पंचायती राज अनुभाग-3

8/8 अर्ध
27/07/16
C/10

8/1

618
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

निदेशक
T/SIC

लखनऊ: दिनांक 2 मई 2016

विषय-वित्तीय वर्ष 2016-17 में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स निर्माण हेतु अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जाति सबप्लान) के अन्तर्गत धनराशि आवंटित किए जानें के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 5/1538/2016-5/129/2016 दिनांक 16 मई 2016 के संदर्भ में समग्र ग्राम विकास विभाग के शासनादेश संख्या-447/66-2012-05/2012, दिनांक 17-05-2012 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत आंतरिक गलियों एवं नालियों के निर्माण के संबंध में पंचायती राज अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 1266/33-2-2012-4आर0डी0/12, दिनांक 13 जून, 2012में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंध एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 में दिये गये दिशा-निर्देशों क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या- 83 के अन्तर्गत 2016-17 उक्त योजना के लिए प्रावधानित रु0 15000.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रु0 4260.00 (रु0 बयानिस करोड़ साठ लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग समाज कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2016-17 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/ उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारियों को आवंटित की जायेगी, जो इस आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे। संबंधित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपॉजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल. पद्धति से व्यय करेंगे। अधिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष " 1054'सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियों -01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्त लेखा शीर्षक" 0515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम -800-अन्य प्राप्तियों -02-प्रतिशतता प्रभारी की वसूली " में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध कराये गये जनपदवार फॉट के कालम संख्या- 10 में अंकित धनराशि रु0 7.934 लाख निदेशक, पंचायती राज कार्यालय स्तर पर आहरित की जायेगी, अवशेष धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आहरित कर संबंधित फॉट में इंगित स्तर पर उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के "लेखाशीर्षक 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-05- समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टर लाकिंग टाइल्स की व्यवस्था- 24-ब्रह्म निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय योजना आयोग भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- सीए-934/दस-2008-मित-1/2007 दिनांक 2-9-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(10) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(11) जनपद स्तर पर निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि नोडल अधिकारी/जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त कार्य एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होते हुए अगले 02 माह के लिए धनराशि नोडल अधिकारी/ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

(12) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य कर ली जाय।

(13) उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर निदेशक, पंचायती राज स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होंगे। साथ ही साथ जनपदवार फॉट के सही होने का दायित्व भी निदेशक, पंचायती राज का होगा।

2- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 में प्राप्त अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय

(एस0पी0सिंह)

उप सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निर्गनलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग/वित्त विभाग/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- निदेशक एवं मुख्य मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- समस्त जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कलेक्ट्रेट लखनऊ।
- 6- समस्त मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।
- 8- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
- 9- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव।

पंचायतीराज विभाग, 30प्र01

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 हेतु चयनित ग्रामों में सी0सी0 रोड के साथ जाली या के0सी0 ड्रेन निर्माण हेतु आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि

अनुदान संख्या-83 (एस्सी0पी0)

(धनराशि लाख में)

क्र. सं.	जनपद का नाम	जिला	कार्यावली संस्था/ धनराशि को	योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 के कुल आवंटित धनराशि	शेष	आवंटन सी0सी0 रोड एवं	अभिषेक हेतु प्रस्तावित धनराशि	कुल योग	कालम संख्या-7 के साथे संख्या-7 के साथे कार्यालय व्यय/कन्टीनेन्सी हेतु 0.2 प्रतिशत धनराशि का फॉट	पंचायती राज	आर.ई.एस. हेतु	मण्डलीय उपनिदेशक (पी) स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	जिला पंचायत कार्यालय स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	सहायक विकास अधिकारी कार्यालय स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	कालम संख्या 11-12+13+14 का योग	कुल योग (कालम 10-15)	यव
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	बरेली	8	170.000	0.000	170.000	158.313	11.687	170.000	0.317	2.375	0.158	0.158	0.158	2.849	3.166	155.147	
2	गजियाबाद	7	220.000	0.000	220.000	204.875	15.125	220.000	0.410	3.073	0.205	0.205	0.205	3.688	4.098	200.777	
3	हरदोई	18	430.000	0.000	430.000	400.438	29.562	430.000	0.801	6.007	0.400	0.400	0.400	7.207	8.008	392.430	
4	रायबरेली	23	520.000	0.000	520.000	484.250	35.750	520.000	0.969	7.264	0.484	0.484	0.484	8.716	9.685	474.565	
5	कानपुरनगर	16	390.000	0.000	390.000	363.188	26.812	390.000	0.726	5.448	0.363	0.363	0.363	6.537	7.263	355.925	
6	जालौन	12	260.000	0.000	260.000	242.125	17.875	260.000	0.484	3.632	0.242	0.242	0.242	4.358	4.842	237.283	
7	कुशीनगर	12	350.000	0.000	350.000	325.938	24.062	350.000	0.652	4.889	0.326	0.326	0.326	5.867	6.519	319.419	
8	सम्भल	1	30.000	0.000	30.000	27.938	2.062	30.000	0.056	0.419	0.028	0.028	0.028	0.503	0.559	27.379	
9	सीतापुर	29	650.000	0.000	650.000	605.313	44.687	650.000	1.211	9.080	0.605	0.605	0.605	10.895	12.106	593.207	
10	इंसी	16	390.000	0.000	390.000	363.188	26.812	390.000	0.726	5.448	0.363	0.363	0.363	6.537	7.263	355.925	
11	बाराबंकी	12	270.000	0.000	270.000	251.434	18.566	270.000	0.502	3.770	0.253	0.253	0.253	4.529	5.031	246.403	
12	उन्नाव	19	420.000	0.000	420.000	391.125	28.875	420.000	0.782	5.867	0.391	0.391	0.391	7.040	7.822	383.303	
13	आगरा	7	160.000	0.000	160.000	149.000	11.000	160.000	0.298	2.235	0.149	0.149	0.149	2.682	2.980	146.020	
कुल		180	4260.000	0.000	4260.000	3967.125	292.875	4260.000	7.934	59.507	3.967	3.967	3.967	71.408	79.342	3887.783	

(रुपया ब्यालीस करौड साठ लाख मात्र)

नोट: कालम संख्या-10 की धनराशि निदेशक, पंचायतीराज विभाग, 30प्र0 तथा कालम संख्या- 8, 15 व 17 में इंगित धनराशि जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी/ आइएन वितरण अधिकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित को उपलब्ध करायी जायेगी।